भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 811

दिनांक 06/02/2026

केवीके की स्थापना

811. श्रीमती सागरिका घोष :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 15 नए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो नए केवीके की स्थापना की धीमी गति के कारण क्या हैं;
(ग) देश भर के 121 जिलों में केवीके न होने के कारण क्या हैं;
(घ) देश भर में केवीके में वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
(ङ) शेष 121 जिलों में केवीके स्थापित करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और
(च) पिछले पांच वर्षों में केवीके द्वारा कितना बजट स्वीकृत और उपयोग किया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग) : जी, हाँ। अपेक्षित अनुमोदन, जरूरी मानदंडों की पूर्ति तथा राशि की उपलब्धता के बाद ही जिले में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) की स्थापना की प्रक्रिया पर विचार किया जाता है। वित्त मंत्रालय से प्राप्त आईडी संख्या 01(03)/2024-E-Coord.II दिनांक 29.07.2024 तथा 30.12.2024 के अनुसार नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना से पहले स्थापना व्यय संबंधी समिति (सीईई) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

(घ) : पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों में कुल 3741 पद रिक्त हैं।

(ङ) : निर्धारित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सृजित जिलों में नए कृषि विज्ञान केंद्रों का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(च) : पिछले 5 वर्षों में कृषि विज्ञान केंद्रों में स्वीकृत और उपयोग की गई बजट राशि का विवरण निम्नवत है :

(रु. लाख में)

वर्ष	**स्वीकृत राशि**	**उपयोग की गई राशि**
2020-2021	23749.00	23279.80
2021-2022	28400.00	26976.00
2022-2023	24372.00	24357.00
2023-2024	25000.00	24985.51
2024-2025	23489.00	23454.62
